झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची।

सं० सं०– परि0 आ0– 350/2015.......682 राँची, दिनांक–09/8/18

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस यात्रियों की यात्रा को आरामदेह एवं और सुविधायुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के जिलों के मध्य वातानुकूलित डीलक्स वाहनों के संचालन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया जाता है :–

1. संचालित किए जाने वाली बस 2 X 2 पुश बैक,वातानुकूलित सुपर डीलक्स होगी, जिसकी बैठान क्षमता 35 से 46 होगी एवं जिसके खिड़की की शीशा सील्ड होगा।
2. पूर्व में परिचालित बस जो कंडिका 1 की शर्तो को पूर्ण करती है,उसका इस सेवा के अन्तर्गत अपने पूर्व निर्गत समय–सारिणी के साथ परिचालन किया जा सकता है परंतु उसको पूर्व निर्गत परमिट को प्रत्यार्पित कर नया परमिट लेना होगा, समय–सारिणी पूर्ववत रहेगा। सरकारी बस स्टैण्ड होने की स्थिति में सरकारी बस स्टैण्ड से संचालन किया जाएगा। सरकारी बस स्टैण्ड न होने की स्थिति में सामान्य बस स्टैण्ड/स्थानीय व्यवस्था के तहत इन बसों का परिचालन किया जाएगा।
3. बॉल्वो एवं मर्सिडिज बसों के लिए किसी टाईमिंग पर कोई आपति मान्य नहीं होगी।
4. इस सेवान्तर्गत परिचालित होने वाली बस नयी होनी आवश्यक होगी एवं निबंधन से 7 वर्ष के अन्दर बसों का प्रतिस्थापन करना होगा।
5. इस सेवान्तर्गत परिचालित होने वाली बसों के लिए निर्धारित बस डिपों से वाहनों के आने जाने के लिए **Route** का निर्धारण किया जाएगा।
6. इस सेवान्तर्गत जिस **R.T.A** के क्षेत्र में मार्ग की अधिकतम दूरी होगी, वहीं से संबंधित परमिट का निर्गमन होगा।
7. इस सेवान्तर्गत परिचालित होने वाली सभी बसों का रंग सफेद होगा जिसके दोनों ओर **Navy Blue** रंग से " द्रुतगामी वातानुकूलित डीलक्स बस सेवा " लिखा होगा।
8. बस चालक की पोशाक सफेद एवं उसके सहायक की पोशाक **Dark Blue** होगा।
9. इस सेवान्तर्गत टिकट की बुकिंग **Online** किए जाने की व्यवस्था परमिटधारियों द्वारा की जाएगी।
10. बस के सामने **Electronic Board** से मार्ग का नाम एवं समय **Display** करना होगा।
11. इस सेवा से राज्य के एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से

9/8/18
(ब्रजेन्द्र हेमरोम)
उप सचिव
परिवहन विभाग
झारखण्ड,राँची।

ज्ञापांकः— परि०आ० — 350 / 2015 ....682......... / दिनांक—09/8/18 /

प्रतिलिपिः— उपाधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की पांच सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

9/8/18

(ब्रजेन्द्र हेमरोम)
उप सचिव
परिवहन विभाग
झारखण्ड,राँची।

ज्ञापांकः— परि०आ० — 350 / 2015........682......... / दिनांक—09/8/18 /

e-mail

प्रतिलिपिः— माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड / सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, झारखण्ड / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक / आरक्षी अधीक्षक / संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड / सभी उप परिवहन आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड / परिवहन आयुक्त के सचिव / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड / सभी प्रवर्तन पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी प्रवर्तन निरीक्षक, झारखण्ड / अवर निरीक्षक, झारखण्ड / सभी यातायात पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड / राज्य सूचना पदाधिकारी, एन०आई०सी०, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

9/8/18

(ब्रजेन्द्र हेमरोम)
उप सचिव
परिवहन विभाग
झारखण्ड,राँची।